



## देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्र.: /845/परीक्षा/सामान्य/2011

दिनांक: 13-7-2011

प्रति,  
विभागाध्यक्ष / निदेशक,  
समस्त अध्ययनशालाएँ,  
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,  
इन्दौर।

विषय: अजा/अजजा संवर्ग के विद्यार्थियों को प्रावधिक प्रमाण-पत्र प्रदान करने  
विषयक।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार आपको सूचित किया जाता है कि अजा/अजजा संवर्ग के जिन विद्यार्थियों की अंकसूची फीस प्राप्ति न होने से रोकी गई है, उन्हें तत्काल प्रावधिक प्रमाण-पत्र जारी किया जाए, ताकि उन छात्रों की अगली कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया बाधित न हो। प्राप्त छात्रवृत्ति तथा फीस के अंतर का प्रकरण उप-संचालक / जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से शासन को भेजा गया है। प्रकरण के निराकरण की सूचना आपको यथा समय दी जाएगी।

आदेशानुसार,

  
कुलसचिव